न्यायमूर्ति एम. एम. एस. बेदी और गुरविंदर सिंह गिल, के समक्ष.

लीपी मोहपात्रा -अपीलकर्ता

बनाम

विनय कुमार- प्रतिवादी

एफएओ No.3870 \ 2015 के
सीएमएम No.108 / 2015

29 जनवरी, 2018

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-खंड 24-भरण- पोषण के लिए अधिनियम के खंड 24 के तहत पत्नी द्वारा आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि वह खुद कमा रही थी और एक प्रकाशन गृह में कार्यरत थी- उच्च न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य कि पत्नी कमाने में सक्षम थी और रचनात्मक काम कर रही थी, उसे भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं हो जाएगी -इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया कि पत्नी पति की स्थिति और कमाई के अनुरूप जीवन शैली की हकदार है-आवेदन की अनुमति है।

माना कि हमने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा है।अदालत से पूछने पर यह सूचित किया गया है कि आवेदक अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर करने के बाद शिक्षित है।लेकिन जिन परिस्थितियों में वह कमाने में सक्षम है और कमाई के लिए कुछ रचनात्मक काम कर रही है, वे उसे भरण- पोषण, का दावा करने से वंचित नहीं हो जाएगी क्योंकि उक्त कारक वास्तव में उसे भरण- पोषण, का दावा करने से वंचित नहीं ठहराएगा क्योंकि उसे पति की स्थिति और कमाई के अनुरूप बनाए रखना होगा।यह ध्यान में रखते हुए कि पांच साल पहले के आदेश के अनुसार दिनांक 05.05.2012 के आदेश के तहत पत्नी को 10,000/-रूपए की राशि प्रदान की गई थी बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाना होगा भले ही यह माना जाये की वह कमाई करने में सक्षम हे और उसके आयकर रिटर्न में एक छोटी राशि को दर्शाया गया हे भरण- पोसन के लिए 25,000/- रूपए प्रति माह की राशि आवेदन की तारीख अप्रैल 2015 से उचित मानी जाती हे तदनुसार आदेश दिया गया ।उसे मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में Rs.55,000/- की राशि का भी हकदार माना जाता है।मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में पहले से ही भुगतान की गई Rs.25,000/- की राशि मुकदमेबाजी के खर्चों से कटौती योग्य होगी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

(पैरा 7)

ए. एस. चड्ढा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

के .बी. रहेजा, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

म. एम. एस. बेदी और गुरुविंदर सिंह गिल, जे. जे.

सीएम-9522-सी. आई. आई.-2016

(1) सिविल विविध आवेदन की अनुमति है।हिंदू विवाह अधिनियम की खंड 24 के तहत आवेदन के जवाब को रिकॉर्ड में लेने की अनुमति है।

सीएमएम-108-2015

(2) यह आदेश हिंदू विवाह अधिनियम के खंड 24 के तहत मुक़दमेबाज़ी खर्च के रूप मैं 1,10,000/- रुपये की और आवेदक -अपीलकर्ता के भरण-पोषण के लिए लंबित मुकदमे मैं 60,000/- रुपये प्रति माह की मांग वाले आवेदन का निपटारा करेगा .

(3) आवेदक-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दावा किया कि प्रतिवादी मैसर्स कॉग्निजेंट मार्केट आरएक्स, गुड़गांव में एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और लगभग रु. 1,20,000 प्रति माह वेतन प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा मेस्सेर्स ऍम वे के साथ व्यापार करने से लगभग 60,000/- रूपए परती माह का कमिसन कमा रहा हे आवेदक का दावा है कि वह आवेदन की तारीख को बेरोजगार है।

(4) पारिवारिक न्यायालय, फरीदाबाद में दायर याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान हिंदू विवाह अधिनियम की खंड 24 के तहत कार्यवाही में, वह प्रति माह Rs.45,000/- कमा रही थी, लेकिन प्रतिवादी-पति के जीवन स्तर और कमाई को ध्यान में रखते हुए, उसे दावा लंबित रहने तक प्रति माह Rs.10,000/- भरण पोसन, और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में Rs.11,000/- की दर से अनुदान दिया गया था।

(5) प्रतिवादी के पति ने कमाई स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल किया है, लेकिन यह अस्पष्ट रूप से बताया गया है कि आवेदक-पत्नी किसी प्रकाशन गृह में संपादक के रूप में काम कर रही हैं और अच्छी-खासी राशि कमा रही हैं।प्रतिवादी के वकील द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि वह प्रति माह Rs.45,000/- से बहुत अधिक कमा रही है और उसने गलत तरीके से कहा है कि वह बेरोजगार है।प्रतिवादी के वकील ने यह भी तर्क दिया है कि विवाह की तिथि पर अपीलकर्ता की स्थिति के कारन विवाहित होने पर वह मुकदमे के लंबित रहने तक किसी भी भरण-पोसन की हक़दार नहीं होगी।

(6) हमने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया है।हम प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त विवाद में कोई बल नहीं पाते हैं।हिंदू विवाह अधिनियम से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों में हिंदू विवाह अधिनियम की खंड 24 के तहत पत्नी भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। इस प्रकार आवेदक-

अपीलकर्ता प्रावधानों के अनुसार मुकदमे के लंबित रहने तक भरण- पोसन और मुकदमेबाजी के खर्च का हकदार है।

हिंदू विवाह अधिनियम की खंड 24के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2012 में अपीलकर्ता को प्रति माह 10,000 रुपये की दर से मुकदमे के लंबित रहने तक भरण- पोसन की अनुमति दी गई थी, लेकिन कार और गृह ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ई. एम. आई. के रूप में उसकी देनदारियों के कारण प्रतिवादी ने किसी भी राशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की है।

(7) हमने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा है।अदालत से पूछने पर यह सूचित किया गया है कि आवेदक अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर करने के बाद शिक्षित है।लेकिन जिन परिस्थितियों में वह कमाने में सक्षम है और कमाई के लिए कुछ रचनात्मक काम कर रही है, वे उसे लंबित मुकदमेबाजी तक भरण- पोषण के लिए अयोग्य नहीं ठहराएंगी क्योंकि उक्त कारक वास्तव में उसे रखरखाव मुकदमेबाजी का इंतजार लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा क्योंकि उसे पति की स्थिति और कमाई के अनुरूप बनाए रखना होगा।यह ध्यान में रखते हुए कि पांच साल पहले के आदेश के अनुसार पत्नी को कुल 10,000/- की राशि प्रदान की गई थी, बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाना होगा, भले ही यह माना जाए कि वह कमाई करने में सक्षम है और उसके आयकर रिटर्न में एक छोटी राशि को दर्शया गया हे मुकदमे के लंबित रहने तक भरण- पोषण के रूप में 1,25,000/- प्रति माह की राशि आवेदन की तारीख यानी अप्रैल 2015 से उचित माना जाता है।तदनुसार आदेश दिया। वह 5,000/- रुपये की राशि मुकदमेबाजी खर्च का भी हकदार माना जाता है। 125, 000/- पहले से ही मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में भुगतान किए गए मुकदमेबाजी के खर्चों से कटौती योग्य होंगे, जैसा कि न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

(8) भरण- पोषण की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान 30.4.2018 तक की गणना के अनुसार 25.4.2018 को किया जाएगा।

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि परिवार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में किसी भी महीने के लिए 110,000/- प्रति माह की दर से कोई राशि का भुगतान किया गया है, तो उक्त राशि आवेदक को दिए गए भरण-पोषण की राशि से कटौती योग्य होगी।

(10) यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि सुलह का प्रयास किया गया है।यदि अपीलकर्ता निचली अदालत के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है यदि उसे प्रतिवादी द्वारा स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में Rs.130,00,000/- की राशि दी जाती है।उक्त प्रस्ताव पर प्रतिवादी द्वारा सुनवाई की तारीख को या उससे पहले विचार किया जा सकता है।

पी. एस. बाजवा

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

संजय कुमार
3G161I
ट्रांसलेटर